आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक–23.11.2026 को मध्याह्न 12:00 बजे से आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :–

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुरूप।

- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक–**16.09.2026** को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्त्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन किया जा रहा है।
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट एवं अन्य मामले हेतु कुल 84 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए हैं। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण–पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है। कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:–

दिनांक–23.11.2026 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन

कार्यवाही संख्या – 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक–25.08.2026 का लंबित संशोधित समय–सारणी।

क्र0 सं0	वाहन सं0/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
1	BR11PC-9255 (06.02.2023) श्री राहुल कुमार, पिता–श्री कार्या नंद कुमार, पता–गोकुल कृष्णा आश्रम, के0 हाट, जिला–पूर्णियाँ।	प्रकाशन–02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया–रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–05.11.26 फिटनेश–01.02.27 बीमा–25.03.27 प्रदूषण–16.10.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यवाही संख्या – 02

(स्थायी परमिट)

आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र0 सं0	वाहन सं0/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
2	BR09PA-8311 (27.08.2018) श्रीमती कुमकुम कुमारी पिता– श्री संजय कुमार, पता–गोरगावां नयागाँव, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रेo स्टेo। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप–01	टैक्स–24.11.26 फिटनेश–11.09.27 बीमा–25.08.27 प्रदूषण–04.09.27	अप्राप्त	➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-2525A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार

23/11

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

23/11/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		(01 अप 01 डाउन)			द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे अगली बैठक से पूर्व कार्यालय में एक लिखित आवेदन समर्पित करें कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो किन परिस्थितियों में पुनः इसी मार्ग पर नये परमिट हेतु आवेदन किया गया है।
3	BR09PA-6809 (27.08.2018) श्री रंजन कुमार, पिता–श्री देव ना0 प्रसाद सिंह, पता–गोरगामा, नयागाँव, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–24.11.26 फिटनेश–11.09.27 बीमा–25.08.27 प्रदूषण–04.09.27	अप्राप्त	➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–19.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2548A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
4	BR09PA-8768 (24.11.2023) श्रीमती कुमकुम कुमारी, पति–संजय कुमार, पता–गोरगामा, नयागाँव, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–23.11.26 फिटनेश–23.11.27 बीमा–09.11.26 प्रदूषण–22.11.26	अप्राप्त	➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–19.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2550A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
5	BR09M-6809 (28.11.2013) श्री संजय कुमार, पिता–देवनंदन प्र0 सिंह, पता–गोरगामा, नयागाँव, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–10.12.26 बीमा–15-11-26 प्रदूषण–04.09.27	अप्राप्त	➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–31.07.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-2115A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

28/11/26
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		भागलपुर डीपो। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)			समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
6	BR06PF-6809 (26.03.2021) श्री संजय कुमार पिता–देवनन्दन प्रसाद सिंह पता– गोरगामा, थाना–नयागाँव, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–25.12.26 फिटनेश–25.03.27 बीमा–12.03.27 प्रदूषण–24.04.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती कुमकुम देवी, वाहन सं0–**BR08P-5751** का कहना है कि वाहन सं0–**BR06PF-6809** मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आवेदित है, जिस पर वाहन सं0–**BR08P-5751** से आपत्ति है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता दोनों का नौगछिया जीरोमाईल प्रस्थान 16:22 समान है, लेकिन आवेदनकर्त्ता वाहन स्वामी भागलपुर जीरोमाईल से 15:22 प्रस्थान करके नौगछिया जीरोमाईल की दूरी 16 किमी0 को 55 मिनट में तय करते हैं, ये यात्री हित में नहीं है, जबकि समान रूप से सभी वाहन 35–40 मिनट दूरी तय करते हैं, समय–सारणी निम्न है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता भागलपुर रे0स्टे0 प्र0 14:55 15:10 (आगे) भागलपुर जीरोमाईल प्र0 15:22 15:38 (आगे) नौगछिया जीरोमाईल प्र0 16:22 16:22(समान) थाना बिहपुर प्र0 16:40 16:42 (आगे) नारायणपुर प्र0 16:57 16:56 (पीछे) पसराहा प्र0 17:18 17:16 (पीछे) महेशखूंट प्र0 17:52 17:40 (पीछे) मानसी प्र0 18:13 18:00 (पीछे) खगड़िया प्र0 18:43 18:18 (पीछे) बलिया प्र0 19:22 18:55 (पीछे) बेगूसराय आ0 19:54 19:26 (पीछे) आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0–**BR08P-5751** से आवेदनकर्त्ता वाहन सं0–**BR06PF-6809** भागलपुर रेलवे स्टेशन से 15 मिनट आगे खुलकर नौगछिया जीरोमाईल में समान समय एवं नारायणपुर से सम्पूर्ण मार्ग बेगूसराय तक पीछे चलते हैं, जो ओमरटेक का मामला है। आवेदनकर्त्ता वाहन सं0–**BR06PF-6809** भागलपुर रेलवे	➢ आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3200 बेगूसराय से भागलपुर है। आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–08.11.2022 को परमिट सं0–**BR2022-SC-2363A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?

अपर समाहर्ता–सह–सदिय,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				स्टेशन से प्रस्थान आगे है, तो सम्पूर्ण मार्ग आगे ही रहना चाहिए जो यात्रीहित में होगा नही तो आगे खुलकर पीछे चलना यात्री हित में नहीं है। आवेदनकर्त्ता को सम्पूर्ण मार्ग आगे का समय–सारणी लिया जाए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन संख्या **BR08P-5751** के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए एवं वाहन सं0–**BR06PF-6809** आवेदन–कर्त्ता से संशोधित समय–सारणी लिया जाए। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्रीमती कुमकुम देवी, वाहन सं0–**BR09PA-9206** का कहना है कि वाहन सं0–**BR06PF-6809** मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आवेदित है, जिस पर वाहन सं0–**BR09PA-9206** से आपत्ति है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता दोनों का बेगूसराय प्रस्थान 08:53 समान है, लेकिन आवेदनकर्त्ता वाहन स्वामी बेगूसराय से बलिया 18 किमी0 की दूरी 50 मिनट में तय करते हैं, जबकि समान रूप से लगभग सभी वाहन ये दूरी 30 से 35 मिनट में दूरी तय करते हैं, जिससे बेगूसराय से खुलने के बाद अत्यधिक पीछे हो जाता है, जिससे यात्री को असुविधा का सामना करना पड़ेगा जिससे बेगूसराय से खुलने के बाद समय–सारणी आगे–पीछे हो जाता है। जिससे परिचालन में समस्या उत्पन्न होगी, समय–सारणी निम्न है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 08:53 08:53 बलिया 09:43–09:48 09:28–09:33 (50 मिनट) खगड़िया 10:37–10:42 10:17–10:22 (49 मिनट) मानसी प्र0 10:53–10:58 10:33–10:37 आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0–**BR09PA-9206** से आवेदनकर्त्ता वाहन सं0–**BR06PF-6809** बेगूसराय से समान समय प्रस्थान करके बलिया की दूरी 18 किमी0 50 मिनट में तय करते हैं, ये यात्री के हित में नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन सं0–**BR09PA-9206** के आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाहन सं0–	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				BR06PF-6809 का समय–सारणी यात्रीहित में नहीं है, संशोधित समय–सारणी लिया।	
7	BR09PA-6807 (27.08.2018) श्री राज कुमार पिता–श्री बब्लु कुमार सिंह, पता–शाहपुर, मु0 जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–24.11.26 फिटनेश–11.09.27 बीमा–25.08.27 प्रदूषण–09.09.27	अप्राप्त	➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–19.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2549A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
8	BR09R-0110 (21.04.2016) श्री रंजीव कुमार, पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, नौकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3015 अलौली से बेगूसराय, भाया–हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–20.10.26 फिटनेश–02.12.26 बीमा–24.01.27 प्रदूषण–08.10.26	अप्राप्त	➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–07.05.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-0823A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
9	BR10P-7279 (29.05.2012) श्री संजय कुमार पिता–श्री देव नंदन प्रसाद सिंह पता–गुरगाँवन, नयागाँव, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–16.05.27 बीमा–27.02.27 प्रदूषण–27.08.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2246A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
10	BR08P-5749 (31.08.2025) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, नौवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–29.11.25 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.27 प्रदूषण–30.08.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–07.05.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-0830A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
11	BR08P-5751 (31.08.2025) श्रीमती कुमकुम देवी, पति–श्री अजीत कुमार, पता–पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.27 प्रदूषण–30.08.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR06PF-6809** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता भागलपुर रे0स्टे0 प्र0 15:10 14:55 नौगछिया जीरोमाईल प्र0 16:22 16:22 नारायणपुर प्र0 16:56 16:57 पसराहा प्र0 17:16 17:18 महेशखूंट प्र0 17:40 17:52 मानसी प्र0 18:00 18:13 खगड़िया प्र0 18:18 18:43 बलिया प्र0 18:55 19:22 आवेदनकर्त्ता भागलपुर रेवले स्टेशन से आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी के पीछे खुलकर नौगछिया जीरो माईल में **Same** समय–सारणी 16:22 है तथा ओभरटेक कर नारायणपुर पसराहा, महेश्खूंट में आगे हो जाते हैं। आवेदनकर्त्ता का क्रमांक 10 है एवं आपत्तिकर्त्ता का क्रमांक सं0–05 है। आपत्तिकर्त्ता आवेदन में वरीय है।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2255A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?

23/10/1

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

23/10/1

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

12	BR08P-5754 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी, श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.27 प्रदूषण–30.08.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री पिंकेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR34P-7883** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता कबेला प्र0 04:59 05:00 नयागाँव प्र0 05:15 05:16 परबत्ता प्र0 05:40 05:42 मड़ैया प्र0 06:01 06:02 जमालपुर प्र0 06:21 06:22 महेशखूंट प्र0 06:50 06:51 मानसी प्र0 07:10 07:11 खगड़िया प्र0 07:23 07:24 बलिया प्र0 08:03 08:04 बेगूसराय प्र0 08:35 08:37 आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के प्रत्येक बिन्दु पर एक मिनट पूर्व का समय–सारणी दिये है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग का 98 प्रतिशत भाग समान है। आवेदनकर्त्ता का परमिट आवेदन स्वीकृत करने से आपत्तिकर्त्ता को अपूर्णीय आर्थिक क्षति होगी। आपत्तिकर्त्ता का वाहन का परिचालन बंद हो जायेगा। आपत्तिकर्त्ता मात्र 12 दिन पूर्व परमिट का उठाव किये हैं। वाहन का परिचालन बंद कराने की नियत से आवेदनकर्त्ता आवेदन किये हैं। परमिट की स्वीकृति पाँच साल के लिए दी जाती है। अगर आवेदनकर्त्ता का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो आपत्तिकर्त्ता का वाहन का परिचालन बंद हो जायेगा।	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2252A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
13	BR52P-5992 (05.05.2026) श्री प्रतीक कुमार, पिता–श्री सुनील प्रसाद, पता–खेतलपुरा, बरबीघा अरथावा, नालंदा जिला–नालंदा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–1524 डाउन, बरबीघा से वार्सलीगंज। भाया–शेखोपुर एवं शाहपुर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–19.10.26 फिटनेश–04.05.28 बीमा–19.04.27 प्रदूषण–04.05.27	अप्राप्त	➢ कार्यालय द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता द्वारा समर्पित प्रस्तावित समय–सारणी में 6, 7, 8, 10 मिनट एवं 11 मिनट का ठहराव दिया गया है जो मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों का पालन नहीं किया गया है। अतः आवेदनकर्त्ता को 05 मिनट से अधिक ठहराव रहने की स्थिति में अगली बैठक में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों का पालन करने संबंधित संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

14	BR09PA-8162 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3015, अलौली से बेगूसराय, भाया–हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–04.10.26 फिटनेश–05.04.27 बीमा–09.04.27 प्रदूषण–24.05.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–17.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2520A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
15	BR09PA-8163 (06.04.2023) श्री अमरजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता, नयागाँव एवं कबैला। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–04.10.26 फिटनेश–05.04.27 बीमा–20.05.27 प्रदूषण–18.09.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–11.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2480A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
16	BR09PA-8166 (06.04.2023) श्री बिनीत कुमार पिता–श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, नॉयकोटी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3181, बेगूसराय से बखरी। भाया–मंझौल। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–04.10.26 फिटनेश–05.04.27 बीमा–01.05.27 प्रदूषण–03.05.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–17.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2507A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त

23/01

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

23/01/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
17	BR09PA-8167 (06.04.2023) श्री अमरजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, बभनगाँवा, नौवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3001 डाउन, बेगूसराय से शहरबन्नी। भाया–मंझौल, बखरी, आशापोखर हरिपुर एवं ज्वालापुर चौक। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–04.10.26 फिटनेश–05.04.27 बीमा–15.05.27 प्रदूषण–30.06.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–08.10.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-2974A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
18	BR09PA-9159 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार पिता–श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, नौवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डा0)	टैक्स–05.12.26 फिटनेश–16.06.28 बीमा–16.05.27 प्रदूषण–11.06.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–17.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2528A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
19	BR09PA-9166 (06.06.2024) श्री अमरजीत कुमार, पिता–श्री रामनंदन सिंह, पता–वार्ड नं0–04, पहसारा,	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर,	टैक्स–05.12.26 फिटनेश–17.06.28 बीमा–14.04.27 प्रदूषण–18.09.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–07.05.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-0824A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

	जिला–बेगूसराय।	नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)			नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
20	BR09M-6805 (28.11.2013) श्री अंकज कुमार, पिता–पारस नाथ सिंह, पता–शाहपुर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–25.12.26 बीमा–15.11.26 प्रदूषण–12.09.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2248A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नही किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
21	BR09PA-9170 (06.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी, पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, नौवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.12.26 फिटनेश–22.06.28 बीमा–14.04.27 प्रदूषण–11.06.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6809** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता भागलपुर रे0स्टे0 प्र0 14:38 13:55 मानसी प्र0 17:28 17:30 बलिया प्र0 18:28 18:39 आवेदनकर्त्ता भागलपुर रेवले स्टेशन से 14:38 आपत्तिकर्त्ता के वाहन के समय–सारणी से 43 मिनट पीछे खुलकर ओभरटेक कर मानसी और बलिया में आगे हो जाते हैं। आवेदनकर्त्ता का आवेदन क्रमांक 20 है तथा आपत्तिकर्त्ता का आवेदन क्रमांक 2 है। आपत्तिकर्त्ता का आवेदन पहले है।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–11.02.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-0327A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर

अपर समाहर्त्ता सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
22	BR09P-8511 (04.07.2014) श्री राज कुमार पिता– श्री बब्लू कुमार सिंह पता–शाहपुर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–03.10.26 फिटनेश–04.08.27 बीमा–22.06.27 प्रदूषण–03.12.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2245A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
23	BR09PA-6805 (30.08.2018) श्री अंकज कुमार पिता–पाञ्चनाथ सिंह, पता–शाहपुर, मु0, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रै0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–11.09.27 बीमा–28.08.27 प्रदूषण–29.05.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-2527A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
24	BR09H-9431 (19.02.2010) श्री राज किशोर राय, पिता–श्री कुशो राय, पता–मटिहानी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3107, हसनपुर से बेगूसराय। भाया–गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–18.11.26 फिटनेश–29.07.27 बीमा–06.12.26 प्रदूषण–21.07.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

25	BR09PB-8123 (22.08.2026) श्री मनोज कुमार, पिता–श्री रामदया सिंह, पता–तिलक नगर स्टेशन रोड नजदीपक लहेरी धर्मशाला, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225, भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–16.11.26 फिटनेश–21.08.28 बीमा–16.08.27 प्रदूषण–21.08.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
26	BR09PA-1034 (31.03.2017) श्री राज किशोर राय, पिता–स्व0 कुशो राय, पता–मटिहानी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3107 डाउन, बेगुसराय से हसनपुर। भाया–नझौल एवं गढ़पुरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–29.12.26 फिटनेश–06.04.27 बीमा–15.01.27 प्रदूषण–17.06.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–10.10.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-2990A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
27	BR06PF-9121 (23.03.2021) श्री चुनचुन सिंह, पिता–श्री मनोज कुमार, पता–तिलक नगर स्टेशन रोड नजदीपक लहेरी धर्मशाला, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225, भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–22.12.26 फिटनेश–19.03.27 बीमा–26.02.27 प्रदूषण–16.04.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–22.11.2022 को परमिट सं0–**BR2022-SC-2417A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया

23/2

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

23/2/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
28	BR09PA-3211 (25.04.2018) श्री अमन कुमार, पिता–श्री रमाशीष सिंह, पता–बिहट, बरौनी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2381 अगुवानी घाट से पटना मीठापुर बस स्टैण्ड। भाया–जमालपुर, महेशखूंट, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–24.10.26 फिटनेश–04.06.27 बीमा–08.11.26 प्रदूषण–30.10.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
29	BR09PA-9172 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार, पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.12.26 फिटनेश–18.06.28 बीमा–16.05.27 प्रदूषण–11.06.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–17.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2516A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
30	BR09R-8151 (18.08.2015) श्री कैलाश राय, पिता–स्व0 कारी राय, पता–रजौरा, मु0, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3189, अजनी से बेगूसराय। भाया–गढ़पुरा एवं मझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–17.11.26 फिटनेश–16.09.27 बीमा–05.09.27 प्रदूषण–17.07.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
31	BR09PA-9165 (04.06.2024) श्री अजीत कुमार, पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.12.26 फिटनेश–17.06.28 बीमा–17.05.27 प्रदूषण–11.06.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2253A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
32	BR01PT-2932 (23.04.2026) श्रीमती सोनी कुमारी, पति–श्री प्रतीक कुमार, पता–इसुआ डीह, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स–25.12.26 फिटनेश–22.04.28 बीमा–20.04.27 प्रदूषण–22.04.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री आशीष आनंद, वाहन सं0–**BR01PT-3099** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से वाहन सं0–**BR01PT-2932** आवेदन सं0–31 पर निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता पहली पाली हथिदाह प्र0 05:30 05:29 दूसरी पाली मोकामा प्र0 08:26 08:25 जो कि प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है। मध्य बिन्दु पर 02 मिनट आगे और 02 मिनट पीछे रहना है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि आवेदन को खारिज किया जाय।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–30.07.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-1947A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
33	BR09PA-9542 (06.11.2024) श्री अमरजीत कुमार पिता–रामनदन सिंह, पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–29.10.26 फिटनेश–05.11.26 बीमा–21.11.26 प्रदूषण–09.11.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अंकज कुमार, वाहन सं0–**BR08P-5564** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 13:04 13:09 बलिया प्र0 13:44 13:44 खगड़िया प्र0 14:34 14:30 महेशखूंट प्र0 15:13 15:09 थाना बिहपुर प्र0 16:10 16:02 नौगछिया जीरोमाईल प्र0 16:28 16:23 भागलपुर जीरोमाईल प्र0 16:55 16:52 आवेदनकर्त्ता बेगूसराय से 05 मिनट पूर्व प्रस्थान कर बलिया में **Same** समय–सारणी एवं ओभरटेक कर खगड़िया से पीछे हो जाते हैं। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित समय–सारणी एक समान	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3200 डाउन भागलपुर से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–07.05.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-0825A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				मार्ग पर ओमरटेक मान्य नहीं है।	
34	BR09PA-8528 (19.09.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3181, बेगूसराय से बखरी। भाया–मंझौल। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.12.26 फिटनेश–06.02.27 बीमा–06.02.27 प्रदूषण–16.09.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–08.10.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-2969A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
35	BR09M-1040 (11.10.2012) श्रीमती सुनीता देवी, पति–श्री सुधीर कुमार, पता–पहसारा, नौबकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3144, बेगूसराय से बखरी। भाया–मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–10.10.26 फिटनेश–27.03.27 बीमा–14.01.27 प्रदूषण–12.09.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.07.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-1901A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
36	BR09PA-8534 (19.09.2023) श्री बिनीत कुमार, पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल एवं बखरी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.12.26 फिटनेश–18.09.27 बीमा–21.02.27 प्रदूषण–16.09.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–08.10.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-2972A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
37	BR09PA-8537 (20.09.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3181, बेगूसराय से बखरी। माया–मझौल। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.12.26 फिटनेश–19.09.27 बीमा–26.12.26 प्रदूषण–16.09.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2242A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
38	BR53G-0021 (10.04.2026) मौसम टूर एवं ट्रेडर्स, पति–श्री अमित कुमार, पता–नड़ियामा, रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3229, लखीसराय से सिकन्दरा। माया–रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–05.10.26 फिटनेश–09.04.28 बीमा–05.04.27 प्रदूषण–09.04.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
39	BR09PA-9163 (06.06.2024) श्रीमती सुनीता देवी पति–श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। माया–नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.12.26 फिटनेश–17.06.28 बीमा–24.05.27 प्रदूषण–11.06.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2249A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
40	BR09PA-9546 (06.11.2024) श्री रंजीत कुमार पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225, भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–29.10.26 फिटनेश–05.11.26 बीमा–22.11.26 प्रदूषण–09.11.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–11.02.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-0330A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखें कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
41	BR09PA-9169 (06.06.2024) श्री रंजीत कुमार पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.12.26 फिटनेश–18.06.28 बीमा–26.05.27 प्रदूषण–17.06.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्रीमती मीनू देवी, वाहन सं0–**BR08P-5588** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता कबेला प्र0 06:15 06:00 नयागॉव प्र0 06:30 06:15 परबत्ता प्र0 06:55 06:50 मड़ैया प्र0 07:15 07:20 जमालपुर प्र0 07:35 07:50 आवेदनकर्त्ता कबेला से 06:15 में आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से 15 मिनट पीछे प्रस्थान कर मड़ैया में ओभरटेक कर 05 मिनट आगे हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर आगे–आगे का समय–सारणी दिये हैं। यह पूर्ण रूप से ओभरटेक का मामला है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार ओभरटेक समय–सारणी मान्य नहीं है।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–23.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2609A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

42	BR09PA-9160 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225, भागलपुर रेलस्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.12.26 फिटनेश–15.06.28 बीमा–23.05.27 प्रदूषण–18.09.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–23.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2610A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
43	BR09PA-9608 (04.12.2024) श्री रंजीत कुमार, पिता–श्री रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–01.12.26 फिटनेश–03.12.26 बीमा–03.12.26 प्रदूषण–09.11.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–17.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2514A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
44	BR09PA-9206 (25.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–24.12.26 फिटनेश–24.06.28 बीमा–28.04.27 प्रदूषण–30.06.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–19.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2542A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
45	BR53B-5865 (03.12.2012) श्री राजीव कुमार, पिता–श्री राम निरंजन प्रसाद सिंह, पता–हसनपुर, महिसौना, जिला–लखीसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–191, लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज। भाया–लखीसराय लालू बस पड़ाव, सिकन्दरा बस स्टैण्ड, रामगढ़ चौक, हलसी एवं सिकन्दरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–02.11.26 फिटनेश–28.09.27 बीमा–27.09.27 प्रदूषण–28.09.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राहुल कुमार, वाहन सं0–**BR11PC-9255** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता लखीसराय प्र0 05:09 05:10 सिकन्दरा प्र0 06:59 07:00 लखीसराय प्र0 09:09 09:10 सिकन्दरा प्र0 10:34 10:35 लखीसराय प्र0 01:54 01:55 सिकन्दरा प्र0 16:02 16:03 आवेदनकर्त्ता श्री राजीव कुमार टैक्स डिफॉल्टर है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी को देखकर मुख्य बिन्दु पर एक मिनट पहले का समय–सारणी दिये हैं। आपत्तिकर्त्ता का आवेदन पूर्व से संशोधित हेतु लम्बित है। आवेदन–कर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता का 90 प्रतिशत मार्ग समान है। आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी स्वीकृत करने से आपत्तिकर्त्ता को वाहन परिचालन में परेशानी होगी। आपत्तिकर्त्ता को आर्थिक क्षति पहुँचाने की नियत से आवेदनकर्त्ता इस प्रकार का समय–सारणी दिये हैं।	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 191 लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आपत्तिकर्त्ता के संशोधित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता लखीसराय लालू बस पड़ाव प्र0 05:09 05:10 (01 मि0 आगे) सिकन्दरा प्र0 06:59 07:00 (01 मि0 आगे) लखीसराय लालू बस पड़ाव प्र0 09:09 09:10 (01 मि0 आगे) सिकन्दरा प्र0 11:34 11:35 (01 मि0 आगे) लखीसराय प्र0 01:54 01:55 (01 मि0 आगे) सिकन्दरा प्र0 16:02 16:03 (01 मि0 आगे) उपर्युक्त प्रस्तावित समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित समय–सारणी में 01 मिनट आगे का समय–सारणी दिया गया है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदनकर्त्ता श्री राजीव कुमार पर टैक्स डिफॉल्टर संबंधित मामला संज्ञान में लाया गया है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा टैक्स डिफॉल्टर संबंधी किसी वाहन का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। परन्तु आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। उक्त की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

46	BR09PA-6655 (24.08.2021) श्री अंकज कुमार, पिता–पारस नाथ सिंह, पता–शाहपुर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225, भागलपुर रेलवेस्टेशन से बेगूसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01(01 अप 01 डी0)	टैक्स–23.11.26 फिटनेश–23.09.27 बीमा–09.08.27 प्रदूषण–05.09.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–31.07.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-2116A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
47	BR08P-5490 (17.10.2024) श्री संजय कुमार, पिता–देव नाथ प्रसाद सिंह, पता–गोरगामा, नयागाँव, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया–कबैला, नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–10.10.26 फिटनेश–16.10.26 बीमा–10.10.26 प्रदूषण–16.10.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2247A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
48	BR21K-1811 (29.09.2014) श्री अरूण कुमार, पिता–श्री माराकाण्डे सिंह, पता–सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–25.12.26 फिटनेश–05.03.27 बीमा–25.02.27 प्रदूषण–29.11.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–29.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2310A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु

23/5/26

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

23/5/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
49	BR09PA-6406 (17.04.2021) श्री पिंकू कुमार सिंह, पिता–राम पदारथ सिंह, पता–पन्हास, सुहिर्द नगर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225, भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–25.12.26 फिटनेश–16.04.27 बीमा–24.03.27 प्रदूषण–26.03.27	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–19.09.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2552A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नही किया है कि उन्हे पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
50	BR09PA-7093 (13.03.2017) श्री मुक्ति नाथ, पिता–श्री राम चन्द्र सिंह, पता–लोहियानगर, सुहिद्र नगर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरेया, परबत्ता, नयागाँव एवं कबैला। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–20.11.26 फिटनेश–07.05.27 बीमा–30.03.27 प्रदूषण–06.08.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
51	BR21P-9059 (30.06.2023) श्री शिव शंकर कुमार, पिता–श्री चुन्नु प्रसाद सिंह, पता–सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–20.02.28 बीमा–07.06.27 प्रदूषण–07.03.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती मोनी कुमारी, वाहन सं0–**BR01PT-2932** का कहना है कि बेगूसराय में दोनों वाहन का **same** समय–सारणी है, जो निम्न है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 11:15 11:15 आवेदक बरबीघा से 05:18 में प्रस्थान कर सरमेरा 05:29 में आगमन करते है। बरबीघा से सरमेरा की दूरी आवेदनकर्त्ता ने अपने	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या–45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–30.07.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-1928A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				आवेदन में 12 किमी0 वर्णित किया है, जिसे आवेदनकर्त्ता 11 मिनट में तय कर रहे है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे है। बरबीघा से सरमेरा के बीच एक रेलवे क्रासिंग, एक टोल टेक्स, बरबीघा बाजार और कोयरीबीघा बाजार है। इस प्रकार बरबीघा से सरमेरा की दूरी 11 मिनट में तय करना सभंव नहीं है। आवेदनकर्त्ता मोकामा से 05:59 में प्रस्थान कर हाथीदह 06:09 में पहुँच रहे है। मोकामा से हाथीदह की दूरी 10 किमी0 आवेदनकर्त्ता 10 मिनट में तय कर रहें है। मोकामा से हाथीदह के बीच मोकामा बाजार, सी0आर0पी0 कैम्प, दरियापुर बाजार और मस्जिद है। मोकामा से हाथीदह का रास्ता संर्किण है। इस मार्ग पर 60 किमी0 प्रति घंटा की गति से वाहन का परिचालन सम्भव नहीं है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहें है। आवेदनकर्त्ता बेगूसराय से 07:20 पूर्वाह्न में वाहन का परिचालन प्रारम्भ कर 14:55 अपराह्न तक बेगूसराय से बरबीघा के बीच वाहन का परिचालन कर रहें है। इस प्रकार वाहन स्वामी 07 घंटा 05 मिनट में बिना रूके वाहन का परिचालन कर रहें है। 05 घंटा वाहन के परिचालन के बाद वाहन को आधा घंटा विश्राम देना है। आवेनकर्त्ता बेगूसराय से 11:15 में प्रस्थान कर हथिदाह आगमन 11:45 में करते हैं तथा हथिदाह से 11:50 में प्रस्थान करते हैं। आपत्तिकर्त्ता हथिदाह आगमन 11:41 में तथा प्रस्थान 11:45 में करते हैं। आवेदनकर्त्ता हथिदाह से आपत्तिकर्त्ता के वाहन से पाँच मिनट पहले प्रस्थान कर मोकामा आगमन 12:15 में तय करते हैं, जबकि आवेदनकर्त्ता मोकामा आगमन 11:55 में करते हैं। मोकामा से आवेदनकर्त्ता 12:18 में प्रस्थान करते हैं तथा आपत्तिकर्त्ता 11:57 में प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता के निर्गत समय–सारणी में ओवरटेकिंग निम्न है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता	नही किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				बेगूसराय प्र0 11:15 हाथीदह आ0 11:45 11:41 हाथीदह प्र0 11:50 11:45 मोकामा आ0 11:55 11:57 (प्र0) मोकामा प्र0 12:18 अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0–**BR01PR-8229** का कहना है कि प्रस्तावित समय–सारणी एवं मेरी वाहन के निर्गत समय–सारणी के बीच टकराव एवं ओवरटेकिंग है जो निम्न है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मोकामा प्र0 12:18 12:21 सरमेरा आ0 12:45 12:50 सरमेरा प्र0 12:50 12:45 बरबीघा आ0 13:20 01:09 आवेदनकर्त्ता मोकामा से 12:18 में प्रस्थान करते है, जबकि आपत्तिकर्त्ता 12:21 में मोकामा से प्रस्थान करते हैं। आवेनकर्त्ता सरमेरा 12:45 में आगमन करते है तथा आपत्तिकर्त्ता सरमेरा 12:50 में आगमन करते है। सरमेरा से आवेदनकर्त्ता 12:50 में प्रस्थान कर बरबीघा 13:20 में आगमन करते हैं जबकि आपत्तिकर्त्ता सरमेरा से 12:54 में प्रस्थान कर बरबीघा आगमन 01:09 में करते हैं। इस प्रकार आवेदनकर्त्ता का प्रस्तावित समय–सारणी से ओवरटेकिंग है। अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	
52	BR21PA-2478 (16.09.2026) श्री अरमान कुमार, पिता–श्री चुन्नु कुमार, पता–सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स–14.12.26 फिटनेश–15.09.28 बीमा–28.08.27 प्रदूषण–15.09.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती मोनी कुमारी, वाहन सं0–**BR01PT-2932** का कहना है कि प्रस्तावित समय–सारणी एवं मेरी वाहन के निर्गत समय–सारणी के बीच टकराव एवं ओवरटेकिंग है जो निम्न है:– आवेदनकर्त्ता सरमेरा से 12:20 प्रस्थान कर बरबीघा 12:50 में आगमन कर रहे हैं। आपत्तिकर्त्ता सरमेरा से 12:22 में प्रस्थान कर बरबीघा 12:35 आगमन कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदनकर्त्ता सरमेरा से आपत्तिकर्त्ता के वाहन के दो मिनट	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या–45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदित समय–सारणी से आपत्ति नहीं देकर निर्गत परमिट के समय–सारणी से त्रुटिपूर्ण आपत्ति दर्ज की गयी है। प्रस्तावित समय–सारणी से त्रुटि रहित आपत्ति निम्न प्रकार है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सरमेरा प्र0 12:20 11:10

अपर सभाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				पूर्व प्रस्थान कर बरबीघा 15 मिनट पीछे आगमन कर रहे है जो पूर्णतः ओवरटेकिंग का मामला है। आवेदनकर्त्ता मोकामा से 07:57 प्रस्थान कर 08:45 में सरमेरा आगमन कर रहे हैं। मोकामा से सरमेरा 22 कि0मी0 की दूरी 48 मिनट में तय कर रहे हैं। पुनः इसी दूरी को तृतीय पाली में सरमेरा से 13:28 में प्रस्थान कर 13:50 में मोकामा आगमन कर रहे हैं। इस प्रकार एक पाली में दूरी 48 मिनट में तय करते है तथा उसी दूरी को तृतीय पाली में 22 मिनट में तय कर रहें है। अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री हिमांशु कुमार वत्स वाहन सं0– **BR21P-9738** का कहना है कि प्रस्तावित समय–सारणी एवं मेरी वाहन के निर्गत समय–सारणी के बीच टकराव एवं ओवरटेकिंग है जो निम्न है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मोकामा प्र0 07:57 08:00 सरमेरा आ0 08:45 08:25 सरमेरा प्र0 08:48 08:29 मोकामा से आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता के वाहन के तीन मिनट पहले प्रस्थान कर सरमेरा से आपत्तिकर्त्ता के वाहन के आगे हो जाते हैं। पुनः सरमेरा से बेगूसराय से हथिदाह की दूरी 28 कि0मी0 है। वाहन का परिचालन नये निर्मित मार्ग **six** लेन से होता है। आवेदनकर्त्ता बेगूसराय प्रस्थान 11:00 एवं आवेदनकर्त्ता हथिदाह आगमन 11:26 में करते हैं। आवेदनकर्त्ता 28 कि0मी0 की दूरी 26 मिनट में तय कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदक गतिसीमा का उल्लघंन कर रहें है। आवेदक बेगूसराय से 07:15 में प्रस्थान कर 17:50 अपराह्न तक वाहन का परिचालन के बाद आधा घंटा वाहन को विश्राम देना है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सरमेरा प्र0 12:20 12:28	(70 मि0 पीछे) बरबीघा आ0 12:50 11:35 (75 मि0 पीछे) उपर्युक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्त्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण आपत्ति दर्ज की गयी है। संज्ञान में लाना है कि आपत्तिकर्त्ता श्रीमती मोनी कुमारी द्वारा दी गई आपत्ति इस बैठक में उनके किसी प्रस्तावित (नए) आवेदन से नहीं है, बल्कि उनके पास पूर्व से इसी मार्ग पर निर्गत/संचालित परमिट के आधार पर है। इसके समानांतर वह इस बैठक में एक अन्य नया परमिट का आवेदक भी हैं। आपत्तिकर्त्ता एक ही मार्ग पर पूर्व से परमिटधारी है। इस बैठक में एक और नया परमिट से सक्रिय आवेदक भी है और साथ ही दूसरे नये आवेदक का विरोध भी कर रही है। यह कृत्य प्रमाणित करती है कि उन्होंने प्रक्रिया को उलझाने और प्राधिकार को दिगभ्रमित करने का प्रयास की है। उक्त की स्थिति में प्रथम आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता द्वारा तृतीय पाली में मोकामा से सरमेरा 22 किमी0 48 मिनट तय किया जा रहा है तथा छठे पाली में सरमेरा से मोकामा की वही दूरी 22 किमी0 22 मिनट में तय किया जा रहा है जो गतिसीमा का उल्लंघन नही है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मोकामा प्र0 07:57 08:00 (03 मि0 आगे) सरमेरा आ0 08:45 08:25 (20 मि0 पीछे) सरमेरा प्र0 08:48 08:29 (19 मि0 पीछे) सरमेरा प्र0 12:20 12:28 (08 मि0 आगे) बरबीघा आ0 12:50 12:42 (08 मि0 पीछे) उपर्युक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा ओवरटेकिंग किया जा रहा है। आवेदनकर्त्ता द्वारा बेगूसराय से हथिदाह की दूरी 26 किमी0 की दूरी 26 मिनट में तय किया जा रहा है जो

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				बरबीघा आ0 12:50 12:42 इस प्रकार आवेदनकर्त्ता सरमेरा से पहले प्रस्थान कर बरबीघा आगमन बाद में कर रहे हैं, ओवरटेकिंग का मामला है। अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	गतिसीमा का उल्लंघन नहीं है तथा उक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा निर्गत परमिट से ओवरटेकिंग किया जा रहा है। मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति स्वीकृत किया जाता है। अतः आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक में द्वितीय आपत्तिकर्त्ता से ओवरटेकिंग संबंधित संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
53	BR34P-7631 (04.02.2026) श्री धर्मबीर सहनी, पिता–श्री सुधीर सहनी, पता–बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045, आलमनगर से खगड़िया। माया–बेलदौर, सोनवर्षा घाट,, उसराहा (इसराहा) एवं महेशखूँट। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–22.10.26 फिटनेश–03.02.28 बीमा–29.01.27 प्रदूषण–03.02.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती रेणू देवी, वाहन सं0–**BR34P-7376** का कहना है कि निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर प्र0 08:00 07:58 आवेदन प्रारंभ बिन्दु पर पाँच मिनट आगे एवं पाँच मिनट पिछे करना है। आवेदनकर्त्ता मात्र दो मिनट पीछे आवेदन किया है। अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0–**BR19P-9918** का कहना है कि निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव एवं ओवरटेकिंग है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर प्र0 16:34 15:55 बेलदौर आ0 16:27 16:25 बेलदौर प्र0 16:32 16:35 आलमनगर मेरी गाड़ी से पहले खुलती है बेलदौर मेरी गाड़ी के बाद पहुँचती है। और मेरी गाड़ी से पहले खुल जाती है जो कि ओवरटेक का मामला है। अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्रीमती श्वेता सोनी, वाहन सं0–**BR09PA-8618** का कहना है कि निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है:–	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3045 आलमनगर से खगड़िया है। आवेदन–कर्त्ता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–03.07.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-1568A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?

अपर समाहर्त्ता सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 12:50 12:53 मुख्य बिन्दु पर पाँच मिनट का अन्तराल नहीं है और आवेदनकर्त्ता कुछ ही दिन पहले परमिट प्राप्त किया है। सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से आवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	
54	BR06PA-8894 (07.12.2011) श्री चंचल कुमार, पिता–श्री सुधीर सिंह, पता–हसनपुर, महिसोना, जिला–लखीसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया–रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–06.12.26 फिटनेश–04.01.27 बीमा–07.10.27 प्रदूषण–17.10.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–18.09.2024 को परमिट सं0–**BR2024-SC-1773A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
55	BR02PB-6064 (05.04.2021) श्री रूपेश कुमार, पिता–श्री कृष्णा प्रसाद, पता–शीतलपुर, फतेहपुर, जिला–गया।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–23.12.26 फिटनेश–30.06.28 बीमा–28.09.27 प्रदूषण–23.06.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0–**BR01PR-8229** का कहना है कि निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव एवं ओवरटेकिंग है:– आवेदनकर्त्ता बेगूसराय से 11:30 में प्रस्थान कर हथिदाह 11:56 में आगमन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता हथिदाह से बेगूसराय 28 कि0मी0 की दूरी 26 मिनट में तय कर रहे हैं। जीरोमाईल से हथिदाह के बीच में दो रेलवे क्रोसिंग है, रिफाईनरी फैक्ट्री है जहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लघंन कर रहें हैं। आवेदनकर्त्ता के एक वाहन पर टैक्स बकाया है, इसका साक्ष्य बैठक में देंगे। आवेदनकर्त्ता वाहन लगातार 12 घंटा तक परिचालन कर रही है। 05	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या–45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न ओवरटेकिंग है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सरमेरा प्र0 16:42 16:45 (03 मि0 आगे) बरबीघा आ0 17:00 16:59 (01 मि0 पीछे) समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता बेगूसराय से 11:30 में प्रस्थान कर हाथीदह 11:56 में आगमन कर रहें हैं। आवेदनकर्त्ता हाथीदह से बेगूसराय 26 कि0मी0 की दूरी 26 मिनट में तय कर रहें है, जो गतिसीमा का उल्लंघन नहीं है।

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				घंटा वाहन का परिचालन करने के बाद नियमानुसार वाहन को विश्राम देना है। आवेदनकर्त्ता सरमेरा से 16:42 में प्रस्थान कर बरबीघा 17:00 बजे आगमन करते हैं। जबकि आपत्तिकर्त्ता सरमेरा से 16:45 में प्रस्थान कर 16:59 में बरबीघा आगमन करते हैं। आवेदनकर्त्ता सरमेरा से आपत्तिकर्त्ता से पहले प्रस्थान कर बाद में बरबीघा आगमन करते हैं। यह पूर्णतः ओवरटेकिंग का मामला है। अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता से (सरमेरा) 03 मिनट पहले प्रस्थान कर 01 मिनट बाद में बरबीघा आगमन करते है, जो ओवरटेकिंग का मामला है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। उक्त की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति स्वीकृत किया जाता है। अतः आवेदनकर्त्ता को ओवरटेकिंग संबंधित संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।
56	BR01PF-4872 (04.07.2015) श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खम्हर, मु0, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल एवं बखरी। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–05.05.27 फिटनेश–21.06.27 बीमा–16.08.27 प्रदूषण–17.06.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री बिनीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-8166** का कहना है कि वाहन सं0–**BR01PF-4872** के मार्ग बेगूसराय से शकरपुरा पर आवेदित है, जो क्रम सं0 55 पर है, इनके आवेदित समय–सारणी पर आपत्ति है, आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0–**BR09PA-8166** के आवेदित समय –सारणी से टकराव है। आवेदन के क्रम में आपत्तिकर्त्ता वाहन आवेदन क्रम सं0 15 पर आवेदित है समय–सारणी में टकराव है जो निम्न है– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 05:39 05:39 मंझौल प्र0 06:25 06:25 वर्णित दोनों गाड़ी बेगूसराय, मंझौल, बखरी तक एक साथ समान मार्ग पर चलेगी एवं गाड़ी का समान समय–सारणी रहने के कारण यात्री चढ़ाने को लेकर मारपीट एवं विवाद का प्रबल संभावना है, जिससे शांति भंग होगी एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। अतः आपसे निवेदन है कि वाहन संख्या–**BR09PA-8166** आवेदन के क्रम में वरीय है, वरीयता देते हुए आवेदन को स्वीकृत करने की निर्णय दी जाय।	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या–3154 डाउन बेगूसराय से शकरपुरा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या–3181 बेगूसराय से बखरी है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2244A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

57	BR01PT-3099 (29.04.2026) श्री आशीष आनंद, पिता–श्री अरूण कुमार, पता–साउथ चित्रगुप्त नगर, के0 बाग, जिला–पटना।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स–09.10.26 फिटनेश–28.04.26 बीमा–13.03.27 प्रदूषण–28.04.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री मोनी कुमारी, वाहन सं0–**BR01PT-2932** का कहना है कि निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मोकामा प्र0 08:26 08:25 आपत्तिकर्त्ता का आवेदन क्रमांक सं0 31 है तथा आवेदनकर्त्ता का क्रमांक सं0 56 है। आवेदनकर्त्ता का आवेदन बाद में किया गया है। समय–सारणी में एक मिनट का अन्तराल रहने के कारण आवेदकर्त्ता का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए। अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0–**BR01PT-2935** का कहना है कि निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव एवं ओवरटेकिंग है जो निम्न है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 06:10 06:13 मुख्य बिन्दु बेगूसराय में दोनों वाहन में 03 मिनट का अन्तराल है। सुबह 02:55 से वाहन का परिचालन प्रारंभ कर 03:32 तक वाहन का परिचालन लगातार कर रहे हैं। पाँच घंटा वाहन का परिचालन करने के बाद वाहन को आधे घंटा का विश्राम देना है। सरमेरा से आवेदनकर्त्ता 07:30 में प्रस्थान कर बरबीघा 07:42 में आगमन कर रहे हैं। सरमेरा से बरबीघा की दूरी 12 कि0मी0 है। सरमेरा से बरबीघा के बीच में टैक्स गेट, रेलवे क्रांसिग तथा थाना चौक ब्लॉक है। रास्ता संकीर्ण तथा घनी अबादी क्षेत्र है। इस दूरी को 12 मिनट में तय करना संभव नहीं है। आवेदकर्त्ता गतिसीमा का उल्लघंन कर रहे है। आवेदनकर्त्ता सरमेरा से 04:53 में प्रस्थान कर मोकामा 05:15 में आगमन करते है, सरमेरा से मोकामा की दूरी 22 किमी0 है जिसे आवेदनकर्त्ता 22 मिनट में तय कर रहे हैं। सरमेरा से मोकामा के बीच घोसवरी में बाढ़ के कारण जानवर	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या–45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–29.08.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-2309A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				और बाढ़ पीड़ित सड़क पर है। मोकामा में रेलवे क्रॉसिंग है। इस दूरी को 22 मिनट में तय करना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	
58	BR50P-1665 (01.07.2014) श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खन्हर, मु0. जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3171 बरौनी जं0 से बखरी। भाया–बेगूसराय, मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–31.12.26 फिटनेश–22.01.27 बीमा–17.07.27 प्रदूषण–21.08.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती बिनीता कुमारी, वाहन सं0–**BR09PA-8530** का कहना है कि वाहन सं0–**BR50P-1665** के मार्ग बरौनी जक्शन से बखरी पर आवेदित है, जो क्रम सं0 57 पर है, इनके आवेदित समय–सारणी पर आपत्ति है, आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0–**BR09PA-8530** के प्राप्त परमिट है। जिसमें मंझौल प्रस्थान 16:59 निर्गत है एवं आवेदनकर्त्ता के द्वारा भी जानबूझ कर तंग करने की नियत से मंझौल प्रस्थान 16:59 समान समय–सारणी पर आवेदन किया है, जबकि बेगूसराय, मंझौल एवं बखरी तक समान मार्ग है। आपत्तिकर्त्ता वाहन संख्या–**BR09PA-8530** के बेगूसराय प्रस्थान संशोधित समय–सारणी संलग्न किया गया है, जो प्रकाशन के क्रम–72 पर है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 16:09 16:06 मंझौल आ0 16:54 16:55 मंझौल प्र0 16:59 16:59 आपत्तिकर्त्ता के वाहन संख्या–**BR09PA-8530** के निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता का वाहन पीछे खुलती है, एवं मंझौल 16:59/16:59 समान समय–सारणी हो जाता है, जबकि आपत्तिकर्त्ता वाहन को मंझौल 16:59 पूर्व से प्राप्त है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपत्तिकर्त्ता वाहन संख्या–**BR09PA-8530** संशोधित समय–सारणी को स्वीकृत करते हुए आवेदनकर्त्ता वाहन को संशोधित समय–सारणी की मांग किया जाए एवं उचित निर्णय लिया जाए। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री बिनीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-8166** का कहना है कि वाहन सं0–	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या–3171 बरौनी जक्शन से बखरी है, प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या–3144 बेगूसराय से मंझौल है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या–3181 बेगूसराय से बखरी है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–10.02.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-0318A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				BR50P-1665 के मार्ग बरौनी जक्शन से बखरी पर आवेदित है जो क्रम सं0 57 पर है, इनके आवेदित समय –सारणी पर आपत्ति है, आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0–**BR09PA-8166** के आवेदित समय–सारणी से टकराव है आवेदन के क्रम में आपत्तिकर्त्ता वाहन आवेदन क्रम सं0 15 पर आवेदित है समय–सारणी में टकराव है जो निम्न है, जो बेगूसराय से आगे खुलकर पीछे हो जाते है जो ओवरटेकिंग का मामला है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 10:38 10:40 (आगे प्रस्थान) मझौल प्र0 11:34 11:24 (पीछे प्रस्थान) जबकि बेगूसराय से बखरी तक समान मार्ग है, एतएव आगे खुलने वाली गाड़ी को आगे रखा जाए, बेगूसराय से आगे खुलने के बाद मझौल में पीछे हो जाते है, जो प्राधिकार के नियम का उल्लघंन है, जो आगे पीछे होने के कारण यात्री को लेकर विवाद की संभावना है जिससे शांति भंग होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन सं0–**BR09PA-8166** के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए एवं आपत्तिकर्त्ता के वाहन को संशोधित समय–सारणी मांगा जाय।	
59	BR11PC-9455 (06.02.2023) श्री राहुल कुमार, पिता–श्री कार्या नंद कुमार, पता–गोकुल कृष्णा आश्रम, के0 हाट, जिला–पूर्णियाँ।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–191, लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज। भाया–लखीसराय लालू बस पड़ाव, सिकन्दरा बस स्टैण्ड, रामगढ़ चौक, हलसी एवं सिकन्दरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–05.11.26 फिटनेश–01.02.27 बीमा–19.04.27 प्रदूषण–16.10.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राम निरंजन सिंह, वाहन सं0–**BR53A-8011** का कहना है कि मेरे उक्त वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है। मेरे उक्त वाहन के दो मिनट आगे–आगे वाहन स्वामी राहुल कुमार वाहन संख्या– BR11PC-9455 का लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज मार्ग पर आवेदन किये हैं जबकि वाहन स्वामी द्वारा प्राधिकार की बैठक–16.09.2026 को बैठक में उक्त वाहन का आवेदन लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर था जिसमें आपत्ति रहने के कारण वाहन स्वामी द्वारा आवेदन वापस लिया गया था और वहीं चालान लगाकर आवेदन किए है जबकि प्रत्येक नये आवेदन में आवेदन के साथ मोटर वाहन	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या–191 लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या–3229 लखिसराय से सिकन्दरा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न प्रकार है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता लखीसराय प्र0 05:28 05:30 (02 मिनट आगे) सिकन्दरा प्र0 07:18 07:20 (02 मिनट आगे) लखीसराय प्र0 09:28 09:30 (02 मिनट आगे) सिकन्दरा प्र0 11:53 11:55 (02 मिनट आगे) लखीसराय प्र0 14:13 14:15 (02 मिनट आगे)

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

23/9/26
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				नियमावली के नियम 74 के अनुसार परमिट शुल्क देना अनिवार्य है। पूर्व परमिट हेतु पूर्व से समर्पित आवेदन संलग्न परमिट शुल्क का सामंजन करने का प्रावधान नहीं है। बिहार परिवहन विभाग के परिपत्र के अनुसार परिपत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि परमिट हेतु आवेदन के साथ परमिट शुल्क अनिवार्य होना चाहिए। अन्यथा आवेदन अमान्य होगा एवं मेरे वाहन के समय–सारणी से सिकन्दरा और लखीसराय मेरा मुख्य बिन्दु है जिसमें वाहन स्वामी द्वारा दो मिनट का अंतराल दिया गया है जो समय–सारणी निम्न प्रकार है– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता लखीसराय प्र0 05:28 05:30 सिकन्दरा प्र0 07:18 07:20 लखीसराय प्र0 09:28 09:30 सिकन्दरा प्र0 11:53 11:55 लखीसराय प्र0 14:13 14:15 सिकन्दरा प्र0 16:21 16:23 लखीसराय प्र0 18:13 18:15 सिकन्दरा प्र0 19:28 19:30 और सभी मध्य बिन्दु पर भी दो मिनट का अंतराल है और यह वाहन स्वामी का घर पूर्णियां जिला है और तंग करने के नियत से हमारे लोकल बस के आगे लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आवेदन किये है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय जिससे मैं अपने वाहन का परिचालन कर सकूँ इस कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।	सिकन्दरा प्र0 16:21 16:23 (02 मिनट आगे) लखीसराय प्र0 18:13 18:15 (02 मिनट आगे) सिकन्दरा प्र0 19:28 19:30 (02 मिनट आगे) उपर्युक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा 02 मिनट आगे का समय–सारणी कर आवेदन किया गया है। परन्तु आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। उक्त की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
60	BR06PA-9840 (10.02.2012) श्री पिंकेश कुमार सिंह, पिता–श्री तृप्ति नाo सिंह, पता–नयागाँव, जोराबरपुर, परबत्ता, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। माया–नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–09.11.26 फिटनेश–11.12.26 बीमा–15-02.27 प्रदूषण–27.11.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–19.05.2023 को परमिट सं0–**BR08/55/18/19/SC** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नही किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
61	BR11E-6688 (24.03.2008) श्री राम शंकर कुमार, पिता–श्री रमाधार सिंह, पता–धरसेनी, कुटौत, बरबीघा,, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया–रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–22.12.26 फिटनेश–08.12.26 बीमा–20.11.26 प्रदूषण–28.02.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राम निरंजन सिंह, वाहन सं0–**BR53P-5165** का कहना है कि मेरी वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है और मेरे वाहन के दो–चार मिनट आगे वाहन स्वामी श्री रामशंकर कुमार, वाहन सं0–**BR11E-6688** का समय–सारणी के लिए आवेदन किए हैं। जबकि यह वाहन केन्द्रीय विद्यालय लखीसराय में चल रहा है और तंग करने की नियत से मेरे वाहन के आगे आवेदन किए हैं। जिसका जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराया जाय। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय जिससे मैं अपने वाहन का परिचालन कर सकूँ। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर टकराव संबंधित कोई आपत्ति नहीं की गई है। आपत्तिकर्त्ता का यह आरोप है कि उक्त वाहन वर्त्तमान में केंद्रीय विद्यालय में अवैध रूप से संचालित है। संज्ञान में लाना है कि इस कार्यालय का पत्रांक–456, दिनांक–10.09.2026 द्वारा स्टेज कैरेज परमिट वाले वाहनों का स्कूलों में अवैध परिचालन रोकने हेतु सघन जाँच का निदेश है। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ही मुंगेर प्रमंडल के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को व्यापक एवं सघन जाँच सुनिश्चित करने हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
62	BR01PT-2935 (23.04.2026) श्री महेश पासवान, पिता–श्री विशेश्वर पासवान, पता–इसुआ, सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स–25.12.26 फिटनेश–22.04.28 बीमा–19.04.27 प्रदूषण–19.04.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अरमान कुमार, वाहन सं0–**BR21PA-2478** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता तीसरी पाली सरमेरा प्र0 12:20 12:21 चौथी पाली सरमेरा प्र0 16:35 16:35 मोकामा प्र0 17:05 17:04 जो कि प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है। 05 मिनट आगे और 05 मिनट पीछे छोड़ना है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि आवेदन को खारिज किया जाय।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग समान है। ➢ कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–30.07.2026 को परमिट सं0–**BR2026-SC-1945A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की

23/12

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					आवश्यकता क्यों?
63	BR11PA-3011 (01.08.2016) श्री अनिश कुमार सिंह, पिता–श्री तृप्ति ना0 सिंह, पता–सतखुट्टी नयागाँव, जोराबरपुर, परबत्ता, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–22.10.26 फिटनेश–28.09.27 बीमा–19.09.27 प्रदूषण–16.12.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–17.06.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-1778A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
64	BR09M-3060 (25.02.2013) श्री पिंकेश कुमार सिंह, पिता–श्री तृप्ति ना0 सिंह, पता–नयागाँव, सतखुट्टी, परबत्ता, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–24.11.26 फिटनेश–14.07.27 बीमा–20.03.27 प्रदूषण–04.12.26	अप्राप्त	कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–27.12.2023 को परमिट सं0–**BR2023-SC-3579A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
65	BR08P-5588 (10.03.2025) श्रीमती मीनू देवी, पति–पिंकेश कुमार सिंह, पता–सतखुट्टी नयागाँव, परबत्ता, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–25.11.26 फिटनेश–09.03.27 बीमा–05.03.27 प्रदूषण–19.03.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9169** का कहना है कि वाहन सं0–**BR08P-5588** के मार्ग कबेला से बेगूसराय पर आवेदित है, जो क्रमांक–64 पर है, इनके आवेदित समय–सारणी पर आपत्ति है, जो कबेला से आगे खुलकर मड़ैया से सम्पूर्ण मार्ग बेगूसरा तक पीछे हो जाते हैं, आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0–**BR09PA-**	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता को इसी मार्ग (समान मार्ग) पर पूर्व में ही दिनांक–17.06.2025 को परमिट सं0–**BR2025-SC-1777A** को निर्गत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने

23/7/25

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				9169 मार्ग कबेला से बेगूसराय जो आवेदन क्रमांक–40 पर है, जो वरीय है, समय–सारणी निम्न है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता कबेला प्र0 06:00 06:15 (आगे) नयागॉव प्र0 06:15 06:30 (आगे) परबत्ता प्र0 06:50 06:55 (आगे) मड़ैया प्र0 07:20 07:15 (पीछे) जमालपुर प्र0 07:50 07:35 (आगे) महेशखूंट प्र0 08:10 08:00 (आगे) मानसी प्र0 08:30 08:20 (आगे) खगड़िया प्र0 08:47 08:40 (आगे) बलिया प्र0 09:28 09:15 (आगे) बेगूसराय आ0 10:05 09:45 (आगे) आपत्तिकर्त्ता वाहन संख्या–**BR09PA-9169** से आवेदनकर्त्ता वाहन सं0–**BR08P-5588** कबेला प्रस्थान 15 मिनट पूर्व करते हैं एवं मड़ैया में पीछे हो जाते हैं, एवं सम्पूर्ण मार्ग पीछे–पीछे चलते हैं, जो ओभरटेक का मामला है। आवेदनर्त्ता वाहन को सम्पूर्ण मार्ग 15 मिनट पहले का समय–सारणी दिया जाय। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन संख्या–**BR09PA-9169** के आवेदन को स्वीकृत करते हुए आवेदनकर्त्ता के वाहन से संशोधित समय–सारणी की मांग की जाए।	आवेदन में इस बात को अंकित नहीं किया है कि उन्हें पूर्व से परमिट प्राप्त है। यद्यपि वर्तमान आवेदन पर आपत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु समान मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत रहने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा वाहन स्वामी को यह निदेश दिया जाता है कि वे 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्यालय में अपना पक्ष रखे कि उक्त मार्ग पर पूर्व में ही परमिट निर्गत किया जा चुका है तो पुनः नयी परमिट की आवश्यकता क्यों?
66	BR27P-7130 (10.03.2018) श्री अरमान कुमार, पिता–श्री चुन्नु कुमार, पता–सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–07.12.26 फिटनेश–22.08.27 बीमा–17.08.27 प्रदुषण–18.08.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती नीलम देवी, वाहन सं0–**BR21P-2524** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता का वाहन मोकामा से 10:20 में प्रस्थान कर 10:50 में सरमेरा आगमन करती है। आपत्तिकर्त्ता मोकामा से 10:26 में प्रस्थान कर सरमेरा 10:51 में आगमन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता सरमेरा से 10:52 में प्रस्थान कर बरबीघा 11:15 में आगमन करते हैं, जबकि आपत्तिकर्त्ता सरमेरा से 10:55 में प्रस्थान कर बरबीघा आगमन 11:10 में कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता सरमेरा से आपत्ति–कर्त्ता के समय–सारणी के पहले प्रस्थान कर बरबीघा आगमन 11:15 बजे बाद में करते हैं जो ओभरटेकिंग का मामला है। बेगूसराय से 06:05 पूर्वाह्न में प्रस्थान कर 05:40 तक अपराह्न लगातार वाहन का परिचालन करते हैं। इस तरह वाहन स्वामी 11 घंटा	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न ओवरटेकिंग है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मोकामा प्र0 10:20 10:26 (06 मि0 आगे) सरमेरा आ0 10:50 10:51 (01 मि0 आगे) सरमेरा प्र0 10:52 10:55 (03 मि0 आगे) बरबीघा आ0 11:15 11:10 (05 मि0 पीछे) उपर्युक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा ओवरटेकिंग किया जा रहा है। आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				40 मिनट लगातार वाहन का परिचालन कर रहे हैं। पॉच घंटा वाहन का परिचालन के बाद वाहन को आधा घंटा विश्राम देना है। वाहन परिचालन योग्य नहीं है। वाहन में इंजन गियर नहीं है। साक्ष्य के रूप में मैं बैठक में फोटो समर्पित करूँगा। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0–**BR01PT-2935** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता सरमेरा से 17:17 में प्रस्थान कर बरबीघा आगमन 17:40 में कर रहे हैं। आपत्तिकर्त्ता 17:19 में सरमेरा से प्रस्थान कर बरबीघा 17:32 में आगमन कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदनकर्त्ता का प्रस्तावित समय–सारणी में ओवरटेकिंग है। आवेदन–कर्त्ता का वाहन परिचालन योग्य नहीं है। वाहन का इंजन वाहन के साथ संलग्न नहीं है। वाहन का परिचालन दो साल से मार्ग में नहीं हो रहा है। वाहन के **V.L.T.D.** की जॉच करने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्रीमती नीलम देवी, वाहन सं0–**BR21P-4704** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता मोकामा से 07:00 बजे प्रस्थान कर 07:45 में सरमेरा आगमन कर रहे हैं। आपत्तिकर्त्ता 07:07 बजे मोकामा से प्रस्थान कर सरमेरा 07:32 में आगमन कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदनकर्त्ता मोकामा से पहले प्रस्थान कर आपत्तिकर्त्ता के वाहन के समय–सारणी के पीछे सरमेरा में आगमन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदन–कर्त्ता का प्रस्तावित समय–सारणी में ओवरटेकिंग है। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्रीमती नीलम देवी, वाहन सं0–**BR21P-2524** द्वारा कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मोकामा प्र0 10:20 10:26 सरमेरा आ0 10:50 10:51 सरमेरा प्र0 10:52 10:55 बरबीघा आ0 11:15 11:10 आवेदनकर्त्ता मोकामा से आपत्ति–कर्त्ता के समय–सारणी के 06 मिनट	उक्त की स्थिति में प्रथम आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति स्वीकृत किया जाता है। अतः आवेदनकर्त्ता को टकराव एवं ओवरटेकिंग संबंधित संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के आवेदित समय –सारणी से निम्न ओवरटेकिंग है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सरमेरा प्र0 17:17 19:15 (118 मि0 आगे) बरबीघा आ0 17:40 19:30 (110 मिनट आगे) उपर्युक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से कोई टकराव एवं ओवरटेकिंग नहीं है। आवेदनकर्त्ता एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। उक्त की स्थिति में द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न ओवरटेकिंग है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मोकामा प्र0 07:00 07:07 (07 मि0 आगे) सरमेरा आ0 07:45 07:32 (13 मि0 पीछे) उपर्युक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा ओवरटेकिंग किया जा रहा है। आवेदनकर्त्ता एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। उक्त की स्थिति में तृतीय आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति स्वीकृत किया जाता है। अतः आवेदनकर्त्ता को ओवरटेकिंग संबंधित संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्त्ता एक ही वाहन सं0–**BR21P-2524** से आपत्ति दर्ज की गयी है तथा दोनों आपत्ति समान है। साथ ही चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता द्वारा आपत्ति से आच्छादित आपत्ति शुल्क जमा नहीं किया गया है। उक्त की स्थिति में चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः आवेदनकर्त्ता को प्रथम एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता से टकराव एवं ओवरटेकिंग संबंधित संशोधित समय–

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				पहले प्रस्थान कर सरमेरा 01 मिनट पहले आगमन करते हैं। पुनः सरमेरा से आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से 03 मिनट पहले प्रस्थान कर बरबीघा आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से 05 मिनट बाद में आगमन करते हैं। इस प्रकार आवेदनकर्त्ता का समय–सारणी ओवरटेकिंग का है। बेगूसराय से आवेदनकर्त्ता 06:05 पूर्वाह्न में वाहन का परिचालन कर प्रारंभ कर 05:40 अपराह्न तक लगातार 11 घंटा 40 मिनट वाहन का परिचालन कर रहे हैं। पॉच घंटा वाहन का परिचालन करने के बाद वाहन को आधा घंटा विश्राम देना है। आवेदनकर्त्ता का वाहन परिचालन योग्य नहीं है। वाहन में इंजन गियर नहीं है। मैं साक्ष्य के रूप में फोटो समर्पित करूँगा। आवेदनकर्त्ता का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।
67	BR08P-6172 (19.09.2026) श्री आशीष कुमार, पिता–श्री रामचन्द्र प्रसाद यादव, पता–केमखा, बासुदेवपुर,, जिला–मुंगेर।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–23.11.26 फिटनेश–18.09.28 बीमा–23.07.27 प्रदूषण–18.09.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0–**BR34P-5452** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी पर आपत्ति पर कहना है कि :– 1. मध्यवर्ती स्थानों पर नियमाविरुद्ध ठहराव: स्थापित नियमों के अनुसार मध्यवर्ती स्टेशनों पर गाड़ी का ठहराव 5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु, आवेदक ने महेशखूंट पर नियमों के विरुद्ध 10-10 मिनट का अवैध ठहराव लिया है: आगमन: 07:50 — प्रस्थान: 08:00 (ठहराव: 10 मिनट) आगमन: 11:30 — प्रस्थान: 11:40 (ठहराव: 10 मिनट) आगमन: 15:25 — प्रस्थान: 15:35 (ठहराव: 10 मिनट) आगमन: 18:55 — प्रस्थान: 19:05 (ठहराव: 10 मिनट) साथ ही, मानसी स्टेशन का समय चक्र भी मार्ग संख्या 3045 के मानदंडों के विपरीत और त्रुटिपूर्ण है। 2. मुख्य बिंदुओं पर समय सारणी का हुबहू सीधा टकराव (Direct Departure Clash): आपत्ति दर्ज करने का सबसे गंभीर और अकाट्य आधार यह है कि मार्ग के मुख्य मध्यवर्ती स्टेशनों महेशखूंट एवं इसराहा) से मेरा पूर्व से स्वीकृत प्रस्थान समय और आवेदक का प्रस्तावित प्रस्थान समय हुबहू एक ही है जिसका आमने सामने स्पष्ट विवरण निम्न प्रकार से दर्शित है:	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा अपना परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता महेशखूंट प्र0 15:35 15:35 उसराहा प्र0 16:05 16:05 एक ही मार्ग और मुख्य बिंदुओं पर एक ही समय पर दो गाड़ियों के परिचालन की अनुमति देना परिवहन नीतियों के सर्वथा विरुद्ध है। इससे मार्ग पर अवैध प्रतिस्पर्धा, आपसी विवाद और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी तथा पूर्व से संचालित वैध वाहनों का आर्थिक नुकसान होगा। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि वाहन संख्या-BR08P-6172 का यह प्रस्तावित आवेदन, जो कि आधिकारिक प्रकाशन और स्वीकृत मार्ग संख्या के नियमों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है तथा परिवहन नियमों के सर्वथा विरुद्ध है, ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं समय का सीधा टकराव पैदा करने वाले आवेदन को जनहित, यात्री सुरक्षा और नियमहित में तत्काल प्रभाव से निरस्त (Reject) करने की कृपा की जाए। साथ ही, प्राधिकार की आगामी बैठक या सुनवाई में मुझे भी उपस्थित होकर अपना पक्ष (Hearing) रखने का अवसर दिया जाए। इस न्यायोचित कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0–**BR34P-6487** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी पर आपत्ति पर कहना है कि :– मैं कृष्ण मोहन, परमिट संख्या BR2025-SC-2123A के तहत मार्ग संख्या 3045 पर संचालित वाहन संख्या-BR34P-6487 का स्वामी हूँ। दिनांक 01/10/2026 को प्रकाशित वाहन संख्या BR08P6172 (आवेदक: आशीष कुमार) के नए आवेदन के विरुद्ध मेरी मुख्य वैधानिक आपत्तियाँ निम्नवत हैं: स्वीकृत रूट/मार्ग के विपरीत प्रकाशन: आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आधिकारिक रूप से स्वीकृत मार्ग संख्या 3045 के रूट चार्ट और मानकों के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। इस प्राधिकार द्वारा किया गया यह वर्तमान प्रकाशन स्वीकृत रूट के सर्वथा विपरीत है, जो कि स्थापित परिवहन नियमों एवं प्राधिकार की नीतियों के पूर्णतः विरुद्ध है। मध्यवर्ती स्थानों पर नियमाविरुद्ध अत्यधिक ठहराव: स्थापित परिवहन नियमों के अनुसार मुख्य Terminals को छोड़कर मार्ग के मध्यवर्ती स्टेशनों पर गाड़ी का ठहराव 5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु आवेदक ने महेशखूंट पर स्थापित नियमों के विरुद्ध 10-10	

अपर सगोहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				मिनट का अवैध ठहराव लिया है, जो स्वीकृत मार्ग संख्या 3045 के मूल रूट चार्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। इसका स्पष्ट आगमन एवं प्रस्थान विवरण (साक्ष्य) निम्नवत है: महेशखूंट-आग0-07:50 - प्र0-08:00 (ठहराव: 10 मिनट) महेशखूंट-आग0 11:30 –प्र0-11:40 (ठहराव: 10 मिनट) महेशखूंट-आग0-15:25 – प्र0-15:35 (ठहराव: 10 मिनट) महेशखूंट-आग0-18:55 – प्र0-19:05 (ठहराव: 10 मिनट) आलमनगर से प्रस्थान समय का 100% हूबहू सीधा टकराव: आपत्ति का सबसे मुख्य और गंभीर आधार यह है कि अलमनगर स्टेशन से अंतिम फेरे (लास्ट ट्रिप) में दोनों गाड़ियों का प्रस्थान (Departure) समय बिल्कुल एक ही समय पर टकरा रहा है, जिसका आमने-सामने विवरण निम्न प्रकार है: आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर प्र0 17:30 17:30 एक ही मार्ग और एक ही टर्मिनल से ठीक एक ही समय (शाम 17:30 बजे) पर दो गाड़ियों को प्रस्थान देने से मार्ग पर अवैध व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, रेस लगाने की होड़ और विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी जिससे पूर्व से संचालित वैध वाहनों का भारी आर्थिक नुकसान होगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाहन संख्या BR08P6172 का यह प्रस्तावित आवेदन, जो कि आधिकारिक प्रकाशन और स्वीकृत मार्ग संख्या के नियमों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं समय का हूबहू सीधा टकराव पैदा करने वाले आवेदन को जनहित और नियमहित में तत्काल प्रभाव से निरस्त (Reject) करने की कृपा की जाए, तथा आगामी बैठक में मुझे भी अपना पक्ष (Hearing) रखने का अवसर दिया जाए। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0–**BR19P-8818** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 14:45 14:45 आपत्तिकर्त्ता का कहना है कि मुख्य बिन्दु पर समय–सारणी **Same** है एवं आवेदनकर्त्ता के द्वारा आवेदित	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				मार्ग सं0–3045 में मानसी दर्शाया गया है जो कि इस मार्ग में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मार्ग के अनुरूप आवेदन नहीं है। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री सर्वेश्वर कुमार चौधरी, वाहन सं0–**BR34P-9218** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 07:10 07:09 आपत्तिकर्त्ता का कहना है कि मुख्य बिन्दु पर प्राधिकार के निर्णय के अनुसार 05 मिनट आगे तथा 05 मिनट पीछे होना चाहिए एवं मार्ग सं0–3045 के अनुरूप आवेदन प्रकाशन नहीं है। आवेदन में मानसी का ठहराव दर्शाने से स्पष्ट होता है। ➢ पंचम आपत्तिकर्त्ता श्री विवेका यादव, वाहन सं0–**BR19P-7549** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आ0 प्र0 आ0 प्र0 आलमनगर 09:25 10:05 09:54 10:08 ऑनलाईन आवेदन एवं प्रकाशन में भिन्नता है। 3045 रूट नं0 में मानसी स्टॉपेज नहीं है।	

कार्यवाही संख्या – 03

परमिट प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र0 सं0	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपो की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
68	BR19P-7536 (11.05.2026) श्रीमती स्वीटी कुमारी, पति–श्री शशि प्रसाद सिंह, पता–C/O-चन्द्रकांत सिंह, शिवपुरी, वार्ड नं0–14, सहरसा। जिला–सहरसा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–4536 गम्हरिया से खगड़िया। भाया–बैजनाथपुर, सहरसा, सौरबाजार, सोनवर्षा, मालीचौक, पिरनगरा, उसराहा, महेशखूंट एवं मानसी। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.12.26 फिटनेश–10.05.28 बीमा–04.05.27 प्रदूषण–10.05.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

69	BR43PA-1711 (08.03.2025) श्री यदवेन्दु कुमार, पिता–स्व0 बिपिन कुमार विमल, पता–विद्यापुरी मोहल्ला, वार्ड नं0–18, बाई पास रोड, जिला–मधेपुरा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–4506 सिंहेश्वर से अगुवानी। भाया–मधेपुरा, बैजनाथपुर, सहरसा, सौर बाजार, सोनवर्षा, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया एवं परबत्ता। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–07.03.27 बीमा–10.08.27 प्रदूषण–13.03.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
70	BR09PA-6688 (03.09.2021) श्रीमती सुनीता देवी पति–श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–344 डाउन, पटना से खगड़िया। भाया–बख्तियारपुर, मोकामा एवं बेगूसराय। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–16.09.27 बीमा–05.09.27 प्रदूषण–31.08.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

कार्यवाही संख्या – 04

प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन

क्रं0 सं0	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त / अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
71	BR09PA-8529 (19.09.2023) श्री बिनीत कुमार, पिता–श्री राम नदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3015, अलौली से बेगूसराय, भाया–हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–18.12.26 फिटनेश–18.09.27 बीमा–05.02.27 प्रदूषण–16.09.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह, वाहन सं0–BR06PC-9933 का कहना है कि प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर वर्तमान मार्ग पर वाहन का परिचालन कर मार्गीय यात्रियों को सुविधा के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। विषयांकित मामले में आवेदक श्री बिनीत कुमार जो "न्याया रथ" के बैनर के तहत परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन करते हैं जिनको 22.09.2026 को 05 साल के लिए परमिट निर्गत किया गया है। मात्र दूसरे वाहन स्वामी के परिचालान को समाप्त करवाने हेतु पुनः नियम विरूद्ध स्थायी परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है। नई परमिट की	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3015 अलौली से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3181 बेगूसराय से बखरी है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु बेगूसराय में प्रस्थान समय 08:26 के स्थान पर 08:34 करने पर मात्र 08 (आठ) मिनट का कोई औचित्य नहीं है। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। क्योंकि प्राधिकार को अपने निर्णय की रिव्यु करने की शक्ति नहीं है/मोटर वाहन अधिनियम 1939 संशोधित अधिनियम 1956 या वर्तमान पुनः संशोधित अधिनियम 1988 में प्राधिकार को अपने निर्णय को रिव्यु करने की शक्ति प्रदान नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जो वर्तमान में भी लागू है और उक्त निर्णय के अलावे अन्य कोई निर्णय इस बिन्दु पर पारित नहीं है, जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री विनीत कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय–सारणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने बिहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत	

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानून विपरीत प्रयास आवेदक के द्वारा किया जाता रहा है और अभी मात्र 22.09.2026 को परमिट निर्गत कराकर पुनः संशोधन का प्रस्ताव दिया जाना आवेदक के गलत मंशा को उजागर करती है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। म्होदय बेगूसराय से बखरी, बेगूसराय से अलौली एवं बेगूसराय से सकरपुरा मार्ग में बेगूसराय से मझौल मार्ग का 80% समान है और स्थानीय एवं ग्रामीण मार्ग पर वाहन का परिचालन 10 मिनट अन्तराल पर भी अलाभकारी होता है परन्तु कतिपय वाहन स्वामी जो काफी ज्यादा वाहन के स्वामी है मार्ग में छोटे वहान स्वामी के परिचालन को बिलकुल समाप्त करवाने हेतु कई परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन अपनी सुविधानुसार करते हैं ताकि उनको अपने दो वाहनों के बीच ज्यादा समय अन्तराल प्राप्त हो। उक्त मार्ग में इस प्राधिकार के निर्णयानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी? बेगूसराय से बेगुसराय से मंझौल के बीच की दूरी, मार्ग की स्थिति एवं तय करने में लगने वाले समय के संबंध में जॉच करायी गयी थी जिसका जॉच प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के	

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				पत्रांक–4164, दि0–27.11.2024 को प्राधिकार को प्राप्त कराया गया है जिसमें बेगूसराय से मंझौल के बीच की दूरी तय करने में कम से कम 35 मिनट समय लगने की बात बतायी गयी है। वर्तमान मामले में आवेदक के द्वारा पूर्व में 41 मिनट का समय प्राप्त किया गया है और अब उक्त दूरी को मात्र 33 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिये हैं। इतना ही नहीं उनके द्वारा अन्य वाहन स0–BR09PA-8530 जिसपर 22.09.2026 को परमिट निर्गत किया गया है। उक्त दूरी पूर्व में 45 मिनट का समय प्राप्त किया गया है और अब उकत दूरी को पुनः संशोधन कर 49 मिनट का प्रस्ताव दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है कि न्याय हित में प्रस्तावित समय–सारणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय।	
72	BR09PA-8530 (19.09.2023) श्रीमती बिनीता कुमारी, पति–श्री रंजीत कुमार, पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3144, बेगूसराय से बखरी। भाया–मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.12.26 फिटनेश–18.09.27 बीमा–27.11.26 प्रदूषण–16.09.27	अप्राप्त	➢ आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में बेगूसराय में प्रस्थान समय 16:10 के स्थान पर 16:06 पर मात्र 04 (चार) मिनट का कोई औचित्य नहीं है। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
73	BR08P-5758 (31.08.2025) श्री रंजीत कुमार पिता–श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.27 प्रदूषण–30.08.27	अप्राप्त	➢ आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में खगड़िया में प्रस्थान समय 10:55 के स्थान पर 10:52 पर मात्र 03 (तीन) मिनट का कोई औचित्य नहीं है। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
74	BR01PR-8229 (14.02.2025) श्री महेश पासवान, पिता–श्री विशेश्वर पासवान, पता–इसुआ, सत्तौर, सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–29.10.26 फिटनेश–13.02.27 बीमा–03.02.27 प्रदूषण–14.02.27	अप्राप्त	➢ आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में बरबीघा में प्रस्थान समय 13:40 के स्थान पर 13:29 एवं सरमेरा में क्रमशः आगमन–प्रस्थान समय 13:55 एवं 13:58 के स्थान पर क्रमशः 13:49 एवं 13:50 पर मात्र 11, 03 एवं 01 मिनट का कोई औचित्य नहीं है। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
75	BR08P-5839 (18.11.2025) श्री पिंकेश कुमार सिंह, पिता–तृपि नारायण सिंह, पता–नबागाँव, जोराबारपुर, परबत्ता, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–16.11.26 फिटनेश–17.11.27 बीमा–16.11.26 प्रदूषण–17.11.26	अप्राप्त	➢ आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में बेगूसराय में प्रस्थान समय 11:58 के स्थान पर 11:55 पर मात्र 03 (तीन) मिनट का कोई औचित्य नहीं है। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

कार्यवाही संख्या – 05

स्कूल बस परमिट आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं० / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
76	BR52P-1660 (08.07.2026) श्री कौशल किशोर सिंह, पिता–श्री हरे राम सिंह, , पता–मटासी, जिला–लखीसराय।	बबा राजाराम कॉलेज ऑफ एडुकेशन, लखीसराय।	टैक्स–07.10.26 फिटनेश–07.07.28 बीमा–07.07.27 प्रदूषण–07.07.27		स्वीकृत की जाती है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

कार्यवाही संख्या – 06

अन्यान्य :–

प्राधिकार की बैठक दिनांक– 25.08.2026 एवं 16.09.2026 का लंबित प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन

क्र० सं०	वाहन सं० / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपो की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त / अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
77	BR46B-7095 (09.11.2012) श्री निवास कुमार सिंह, पिता–स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता–हंसाडीह, जिला–जमुई।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–गहिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–08.08.26 फिटनेश–24.03.27 बीमा–11.12.26 प्रदूषण–25.09.25	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०–**BR46P-8081** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री निवास कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेवले स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदनकर्त्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०–25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आवेदनकर्त्ता द्वारा अपने समर्पित आवेदन के माध्यम से आधार प्रस्तुत में उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०–**BR46P-8081** के द्वारा मेरे संशोधित समय–सारणी पर आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति एवं नवीकरण के समय ही किसी समय–सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय–सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम् नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय–सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं हैं। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्त्ता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संसोधित आवेदन दिये है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नही है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना हैं। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अन्तर्गत पारित किया गया है। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम के स्थान पर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय लागू नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा–48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के आधार पर पारित किया गया है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ञ दिनांक–23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ञ) (1) में समय–सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/–(चार हजार रूपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त परिवहन विभाग, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता के समय– सारणी में काफी भिन्नता है। आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय–सारणी अलाभकर रहने के कारण तथा पैसेन्जर के हित में आवेदनकर्त्ता संशोधित समय–सारणी का आवेदन किये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :– 9962, दि0–23.08.2024 की कंडिका 2 के ञ (i) के अनुसार समय–सारणी में परिवर्त्तन/संशोधन हेतु रूपये 4000/– का शुल्क निर्धारित है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु मलेयपुर स्टेशन में प्रस्थान समय 02:59 के स्थान पर 02.57 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–16.09.2026 में आवेदनकर्त्ता को स्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	कर उल्लेख किया गया है कि मलयपुर स्टेशन से महिसौढ़ी चौक आवेदनकर्त्ता पूर्व में 12 मिनट में तय करते थे। मलयपुर स्टेशन से महिसौढ़ी चौक के बीच काफी सवारी बस में सवार होती है। पूर्व के समय–सारणी में समय कम रहने के कारण सवारी बस में नहीं चढ़ पाती थी। 02 मिनट समय–सारणी में संशोधन कर देने से सवारी बस में आसानी से सवार हो पायेगी। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति/तार्किक आधार या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
78	BR46C-3247 (13.05.2014) श्री सुभाष कुमार सिंह, पिता–स्व0 लखन प्रसाद सिंह, पता–हसाडीह, जिला–जमुई।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–12.11.26 फिटनेश–29.07.27 बीमा–15.09.26 प्रदूषण–23.11.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-6297** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आवेदनकर्त्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आवेदनकर्त्ता द्वारा अपने समर्पित आवेदन के माध्यम से आधार प्रस्तुत में उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-6297** के द्वारा मेरे संशोधित समय–सारणी पर आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति एवं नवीकरण के समय ही किसी समय–सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय–सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री सुभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध मे जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा	को स्थायी समय–सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं हैं। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्त्ता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नही किया है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नही है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना हैं। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अन्तर्गत पारित किया गया हैं। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम के स्थान पर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय लागू नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा–48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के आधार पर पारित किया गया हैं। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ञ दिनांक–23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ञ) (1) में समय–सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/–(चार हजार रूपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त परिवहन विभाग, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में काफी भिन्नता है। आपत्तिकर्त्ता का वर्तमान समय–सारणी अलाभकर रहने के कारण तथा पैसेन्जर के हित में आवेदनकर्त्ता संशोधित समय–सारणी का आवेदन किये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :– 9962, दि0–23.08.2024 की कंडिका 2 के ञ (i) के अनुसार समय–सारणी में परिवर्त्तन/संशोधन हेतु रूपये 4000/–

अपर सभाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	का शुल्क निर्धारित है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु मलेयपुर स्टेशन में प्रस्थान समय 02:53 के स्थान पर 02:51 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। उक्त निदेश के आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर उल्लेखा किया गया है कि मलयपुर स्टेशन से महिसौढ़ी चौक आवेदनकर्त्ता पूर्व में 11 मिनट में तय करते थे। मलयपुर स्टेशन से महिसौढ़ी चौक के बीच काफी सवारी बस में चढ़ते थे। पूर्व के समय–सारणी में समय रहने से पैसेन्जर को चढ़ाने एवं उतारने में काफी परेशानी होती थी। 02 मिनट संशोधन समय–सारणी कर देने से सवारी को बस में चढ़ाने और उतारने में आसानी होगी। अतः सवारी एवं वाहन स्वामी के हित में मेरे संशोधन आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति / तार्किक आधार या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
79	BR46P-5421 (21.03.2023) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता–स्व0 लखन प्रसाद सिंह, पता–हंसाडीह, नियर शिव मंदिर, जिला–जमुई।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–08 (08 अप 08 डाउन)	टैक्स–13.09.26 फिटनेस–24.04.27 बीमा–02.03.27 प्रदूषण–25.01.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46B-5081** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आवेदनकर्त्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आवेदनकर्त्ता द्वारा अपने समर्पित आवेदन के माध्यम से आधार प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46B-5081** के द्वारा मेरे संशोधित समय–सारणी पर आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी मे सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या	एवं नवीकरण के समय ही किसी समय–सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय–सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम् नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय–सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं हैं। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्त्ता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना हैं। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अन्तर्गत पारित किया गया हैं। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम के स्थान पर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय लागू नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा–48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के आधार पर पारित किया गया है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ञ दिनांक–23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ञ) (1) में समय–सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/–(चार हजार रूपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त परिवहन विभाग, पटना द्वारा परमिट मे संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नही जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2026 में निर्गत किया गया है 4 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक मे महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मै आपका सदा आभारी रहूँगा /	द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता के समय –सारणी में काफी भिन्नता है। आपत्तिकर्त्ता का वर्तमान समय–सारणी अलाभकर रहने के कारण तथा पैसेन्जर के हित में आवेदनकर्त्ता संशोधित समय–सारणी का आवेदन किये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :– 9962, दि0–23.08.2024 की कंडिका 2 के ञ (i) के अनुसार समय–सारणी में परिवर्त्तन/संशोधन हेतु रूपये 4000/– का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय–सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु मलेयपुर स्टेशन में प्रस्थान समय 13:48 के स्थान पर 13:46 एवं महिसौढ़ी चौक में प्रस्थान समय 14:18 के स्थान पर 14:16 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–16.09.2026 में आवेदनकर्त्ता को स्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि 02 मिनट समय–सारणी में संशोधन कर देने में सवारी को बस में चढ़ाने एवं उतारने में आसानी होगी। पूर्व के समय–सारणी में पैसेन्जर को बस में चढ़ाने एवं उतारने में परेशानी हो रही थी। अतः पैसेन्जर एवं वाहन स्वामी के हित में मेरे संशोधन आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति/तार्किक आधार या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
80	BR46P-5739 (19.01.2024) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता–स्व0 लखन प्रसाद सिंह, पता–हंसाडीह,, जिला–जमुई।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मलेयपुर स्टेशन से आढा। भाया–महिसौढी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–06 (06 अप 06 डाउन)	टैक्स–16.10.26 फिटनेश–18.01.28 बीमा–16.01.27 प्रदूषण–28.01.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46C-6981** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक मे आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आवेदनकर्त्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आवेदनकर्त्ता द्वारा अपने समर्पित आवेदन के माध्यम से आधार प्रस्तुत में उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46C-6981** के द्वारा मेरे संशोधित समय–सारणी पर आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति एवं नवीकरण के समय ही किसी समय–सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय–सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम् नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय–सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं हैं। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्त्ता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना हैं। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अन्तर्गत पारित किया गया हैं। सन्

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने बिहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2025 में निर्गत किया गया है 1 साल 1 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने	1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम के स्थान पर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय लागू नही है। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा–48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के आधार पर पारित किया गया है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ञ दिनांक–23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ञ) (1) में समय–सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/–(चार हजार रूपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त परिवहन विभाग, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता के समय– सारणी में काफी भिन्नता है। आपत्तिकर्त्ता का वर्तमान समय–सारणी अलाभकर रहने के कारण तथा पैसेन्जर के हित में आवेदनकर्त्ता संशोधित समय–सारणी का आवेदन किये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :– 9962, दि0–23.08.2024 की कंडिका 2 के ञ (i) के अनुसार समय–सारणी में परिवर्त्तन/संशोधन हेतु रूपये 4000/– का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में कोई टकराव नही रहने एवं आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय–सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदन– कर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु मलेयपुर स्टेशन में प्रस्थान समय 13:10 के स्थान पर 13:08 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	दि0–16.09.2026 में आवेदनकर्त्ता को स्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि मलयपुर स्टेशन से महसौनी चौक आवेदनकर्त्ता पूर्व में समय कम रहने के कारण सवारी बस में चढ़ नहीं पाती थी। 02 मिनट का समय–सारणी में संशोधन कर देने से सवारी बस में चढ़ सकेगी। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति/तार्किक आधार या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
81	BR21G-4953 (04.10.2012) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–नेपुरा, पार्वती, काशीचक, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3274 डाउन, नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड से महिसौढ़ी चौक जमुई। भाया–पकड़ीवर्मा, आढ़ानोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–03.04.27 फिटनेश–16.02.27 बीमा–15.11.26 प्रदूषण–23.01.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-6297** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3274 डाउन नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड से महिसौढ़ीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदनकर्त्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-6297** के द्वारा आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय–सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है। किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय–सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम् नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय–सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं हैं। श्रीमान्

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा	के द्वारा आवेदक को समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्त्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना हैं और वह पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1939 में वर्णित धारा के अनुसार पारित किया गया हैं। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम को निरस्त कर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय अस्तित्व में नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा–48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के अनुसार पारित किया गया है। वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ञ दिनांक–23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ञ) (1) में समय–सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/–(चार हजार रूपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट में संशोधन के उपरान्त परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा संशोधित समय–सारणी के समय पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आवेदनकर्त्ता के मार्ग से भिन्न है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर का स्पष्ट निर्णय है कि मार्ग समान रहने पर आपत्ति स्वीकार किया जायेगा। आपत्तिकर्त्ता एवं आवेदनकर्त्ता का मार्ग भिन्न है। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्त्ता का उक्त मार्ग पर परमिट नहीं है। आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय–

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 साल 8 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्त्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्त्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरूद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	सारणी अलाभकर रहने के कारण आवेदनकर्त्ता संशोधित समय–सारणी का आवेदन दिये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :– 9962, दि0–23.08.2024 की कंडिका 2 के ञ (i) के अनुसार समय–सारणी में परिवर्त्तन/संशोधन हेतु रूपये 4000/– का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय –सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु महिसौढ़ी चौक में प्रस्थान समय 09:05 के स्थान पर 09:15 एवं नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड में प्रस्थान समय 16:00 के स्थान पर 15:53 करने पर मात्र 10 एवं 07 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–16.09.2026 में आवेदनकर्त्ता को स्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि महिसौढ़ी चौक 09:05 प्रस्थान के स्थान पर 09:15 का संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। महिसौढ़ी चौक में 09:05 के समय में पैसेन्जर नहीं होता है। 09:05 समय–सारणी में 10 मिनट 09:15 का संशोधित समय–सारणी करने से बस में सवारी हो जायेगा। नवादा प्रस्थान समय 16:00 के स्थान पर 15:53 कर संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। बस में पैसेन्जर समय से पहले बैठ जाते हैं तथा वाहन का परिचालन प्रारंभ करने की माँग करते हैं। पैसेन्जर के हित में परमिट में संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। मेरे संशोधित समय–सारणी को स्वीकृत करने की कृपा की जाय। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति/तार्किक आधार या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
82	BR27RA-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3208 डाउन, नवादा से महिसौढी चौक जमुई। भाया–पकडीवर्मा, आढागोड, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–14.10.26 फिटनेश–16.04.28 बीमा–27.03.27 प्रदूषण–16.04.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46B-5081** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री **अविनाश कुमार** के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3208 डाउन नवादा से महिसौढीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदनकर्त्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46B-5081** के द्वारा आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय–सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है। किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय–सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम् नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय–सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्त्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1939 में वर्णित धारा के अनुसार पारित किया गया है।

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी	सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम को निरस्त कर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय अस्तित्व में नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा–48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के अनुसार पारित किया गया है। वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ञ दिनांक–23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ञ) (1) में समय–सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/–(चार हजार रूपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट में संशोधन के उपरान्त परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा संशोधित समय–सारणी के समय पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आवेदनकर्त्ता के मार्ग से भिन्न है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर का स्पष्ट निर्णय है कि मार्ग समान रहने पर आपत्ति स्वीकार किया जायेगा। आपत्तिकर्त्ता एवं आवेदनकर्त्ता का मार्ग भिन्न है। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्त्ता का उक्त मार्ग पर परमिट नहीं है। आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय–सारणी अलाभकर रहने के कारण आवेदनकर्त्ता संशोधित समय–सारणी का आवेदन दिये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :– 9962, दि0–23.08.2024 की कंडिका 2 के ञ (i) के अनुसार समय–सारणी में परिवर्त्तन/संशोधन हेतु रूपये 4000/– का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में कोई टकराव नही रहने एवं आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय–सारणी में संशोधन किया जाता है। अतः आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मै आपका सदा आभारी रहूँगा /	का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति मे आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव सिकन्दरा में आगमन समय 14:59 के स्थान पर 14:53 एवं प्रस्थान समय 15:00 के स्थान पर 14:58 करने पर मात्र 06 एवं 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–16.09.2026 में आवेदनकर्त्ता को स्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि वाहन का समय–सारणी पूर्व में सिकन्दरा आगमन 02:59 तथा प्रस्थान 15:00 बजे था। मैने सिकन्दरा आगमन 14:53 एवं 14:58 का संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। पूर्व में सिकन्दरा में 01 मिनट का ठहराव था। 01 मिनट का ठहराव पूर्व में रहने के कारण सवारी को चढ़ाने उतारने में परेशानी होती थी। सिकन्दरा आगमन 14:53 एवं प्रस्थान 14:58 का संशोधित समय–सारणी स्वीकृत करने से पैसेन्जर को चढ़ाने एवं उतारने में आसानी होगी। उक्त सभी तथ्यों, आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न होने के कारण आपत्ति के पूर्व निरस्तीकरण तथा आवेदक द्वारा यात्रियों के व्यापक हित में प्रस्तुत किए गए तार्किक आधार पर स्थायी परमिट के समय–सारणी मे प्रस्तावित संशोधन (सिकन्दरा आगमन समय 14:53 एवं प्रस्थान समय 14:58) को स्वीकृति दी जाती है।
83	BR52P-6553 (03.04.2025) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग सख्या–3162. नवादा से जमुई। भाया–पकडीयर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–02.04.27 फिटनेश–02.04.27 बीमा–25.03.27 प्रदूषण–22.04.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-8081** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेलवे स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदनकर्त्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0– 25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-8081** के द्वारा आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय–सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है।

अपर सचिव–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी मे किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में	किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय–सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम् नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय–सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं हैं। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्त्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नही है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1939 में वर्णित धारा के अनुसार पारित किया गया हैं। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम को निरस्त कर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय अस्तित्व में नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा–48 **(C)** मोटर वाहन अधिनियम 1949 के अनुसार पारित किया गया है। वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ञ दिनांक–23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ञ) (1) में समय–सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/–(चार हजार रूपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट में संशोधन के उपरान्त परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 1 साल 2 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्त्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्त्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरूद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	किया जाता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा संशोधित समय–सारणी के समय पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आवेदनकर्त्ता के मार्ग से भिन्न है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर का स्पष्ट निर्णय है कि मार्ग समान रहने पर आपत्ति स्वीकार किया जायेगा। आपत्तिकर्त्ता एवं आवेदनकर्त्ता का मार्ग भिन्न है। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्त्ता का उक्त मार्ग पर परमिट नहीं है। आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय–सारणी अलाभकर रहने के कारण आवेदनकर्त्ता संशोधित समय–सारणी का आवेदन दिये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :– 9962, दि0–23.08.2024 की कडिका 2 के ञ (i) के अनुसार समय–सारणी में परिवर्त्तन/संशोधन हेतु रूपये 4000/– का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय–सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु नवादा में प्रस्थान समय 10:13 के स्थान पर 10:11 एवं सिकन्दरा में प्रस्थान समय 14:05 के स्थान पर 14:12 करने पर मात्र 02 एवं 07 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–16.09.2026 में आवेदनकर्त्ता को स्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि वाहन का परमिट का संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। नवादा प्रस्थान 10:13 के स्थान पर 10:11 का संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। 10:05 के समय में वंदे भारत ट्रेण का ठहराव नवादा स्टेशान में है। ट्रेन से पैसेन्जर उतर कर बस में सवार होती है। बस में बैठने के बाद पैसेन्जर बस को जल्दी खोलने की माँग करते हैं। पैसेन्जर की माँग पर मैंने नवादा में 02

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					मिनट पहले का संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। सिकन्दरा प्रस्थान 14:05 के स्थान पर 14:12 का समय–सारणी दिया हूँ। 14:05 अपराह्न समय–सारणी में पैसेन्जर कम रहने के कारण मैं संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। मेरे संशोधित समय–सारणी पर विचार कर मुझे परमिट स्वीकृत करने की कृपा की जाय। उक्त सभी तथ्यों, आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न होने के कारण आपत्ति के पूर्व निरस्तीकरण तथा आवेदक द्वारा यात्रियों के व्यापक हित में प्रस्तुत किए गए तार्किक आधार पर स्थायी परमिट के समय–सारणी में प्रस्तावित संशोधन (नवादा प्रस्थान समय 10:11 एवं सिकन्दरा प्रस्थान सयम 14:12) को स्वीकृति दी जाती है।
84	BR27GB-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बब्बु सिंह, पता–पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3162, नवादा से महिसौढ़ी चौक,जमुई। भाया–पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–14.10.26 फिटनेश–16.04.28 बीमा–27.03.27 प्रदूषण–16.04.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46C-6981** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदनकर्त्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46C-6981** के द्वारा आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय–सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है। किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय–सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम् नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय–सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक मे आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नही किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नही किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नही जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक मे आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या	उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्त्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना हैं और वह पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1939 में वर्णित धारा के अनुसार पारित किया गया हैं। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम को निरस्त कर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय अस्तित्व में नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा–48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के अनुसार पारित किया गया है। वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ञ दिनांक–23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ञ) (1) में समय–सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/–(चार हजार रूपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट में संशोधन के उपरान्त परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा संशोधित समय–सारणी के समय पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आवेदनकर्त्ता के मार्ग से भिन्न है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर का स्पष्ट निर्णय है कि मार्ग समान रहने पर आपत्ति स्वीकार किया जायेगा। आपत्तिकर्त्ता एवं आवेदनकर्त्ता का मार्ग भिन्न है। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्त्ता का उक्त मार्ग पर परमिट नहीं है। आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय–सारणी अलाभकर रहने के कारण आवेदनकर्त्ता संशोधित समय–सारणी का आवेदन दिये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :–

अपर सभाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आहूक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/	9962, दि0–23.08.2024 की कंडिका 2 के ञ (i) के अनुसार समय–सारणी में परिवर्त्तन/संशोधन हेतु रूपये 4000/– का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्त्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय–सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु सिकन्दरा में प्रस्थान समय 15:45 के स्थान पर 15:43 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–16.09.2026 में आवेदनकर्त्ता को स्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि वाहन का परमिट का संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। सिकन्दरा प्रस्थान 15:45 के स्थान पर 15:43 का संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। सिकन्दरा में अधिक समय का ठहराव रहने के कारण बस में पूर्व से सवार सवारी बस खोलने की माँग करते है। सवारी की माँग को देखते हुए मैं स्वीकृत परमिट में संशोधित समय–सारणी दिया हूँ। एक बार स्थायी परमिट निर्गत होने के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति/तार्किक आधार या व्यापक जनहित के ठोस प्रमाण के समय–सारणी में आंशिक बदलाव करने से अन्य वाहन स्वामियों की समय–सारणी एवं मार्ग व्यवस्था होने की संभावना रहती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

23/11/26

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

23/11/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

23.11.26

आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :–सा0–01–01/2025 534 /परि0, मुंगेर, दिनांक– 23/11/ /2026

प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/11/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।